विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, दुर्ग
दुर्ग क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर नाका दुर्ग–491001

क्र. 188 दि. 30/06/2026

प्रकरण क्रमांक CGRF/DURG/2026/44
दिनांक 08.05.2026

आवेदक

Chief Municipal Officer,
Nagar Panchayat, Dondi Lohara
बी.पी. नं. **1001377418**,
मो नं. **9589845434**

विरूद्ध

कार्यपालन अभियंता (संचा/संधा) संभाग
छ.स्टे.पॉ.डि.कं.लिमि., बालोद

अनावेदकगण

सहायक अभियंता उपसंभाग
छ.स्टे.पॉ.डि.कं.लिमि., डौंडीलोहारा

विषय :– नगर पंचायत डोडी लोहारा के सड़क बत्ती हेतु स्थापित 3 किलोवाट का विद्युत कनेक्शन मे मीटर रीडिंग एवं बिलिंग में अनियमितता के संबंध में।

आदेश

(आज दिनांक 26.06.2026 को पारित किया गया)

1. विवाद का संक्षिप्त विवरण

आवेदक द्वारा प्रस्तुत शिकायत में यह अभ्यावेदन किया गया कि बी.पी. नं. 1001377418 से संबंधित सड़क बत्ती कनेक्शन में मीटर रीडिंग में अनियमिता के संबंध में अवगत कराया गया है।

अतः आवेदक द्वारा फोरम के समक्ष निवेदन किया गया है कि उक्त बिलिंग संबंधी अनियमितता के निराकरण करते हुए पर पूर्व अवधि की बिलिंग का पुनरीक्षण कर संशोधित विद्युत देयक जारी किए जाने की प्रार्थना की गई।

फोरम द्वारा उक्त प्रकरण को प्रकरण क्रमांक 44/2026 के अंतर्गत दर्ज करते हुए सुनवाई आरंभ की गई।

2. प्रकरण की कार्यवाही

1. दिनांक 19.05.2026 को प्रकरण की प्रथम सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान अनावेदक का प्रतिनिधि उपस्थित हुआ एवं आवेदक अनुपस्थित रहा. प्रकरण में अगली सुनवाई दिनांक 17/6/2026 को की गई जिसमें आवेदक अनुपस्थित रहा एवं अनावेदक की ओर से सहायक अभियंता डोडी लोहारा उप संभाग एवं कनिष्ठ यंत्री उपस्थित हुए।

2. आवेदक द्वारा प्रस्तुत शिकायत के अनुसार सड़क बत्ती हेतु स्थापित उक्त विद्युत कनेक्शन में मीटर रीडिंग अनियमित रही, जिसके कारण त्रुटिपूर्ण विद्युत बिल जारी किए जाते रहे।

3. फोरम द्वारा दिनांक 17 /6/2026 को हुई सुनवाई के दौरान सहायक अभियंता डोडी लोहारा उप संभाग को निर्देशित किया गया कि प्रकरण से संबंधित संपूर्ण जानकारी, पिछले तीन वर्षों के बिलिंग गणना पत्रक एवं मीटर रीडिंग डायरी प्रस्तुत की जाए।

4. दिनांक 24.06.2026 को सहायक अभियंता द्वारा आवश्यक दस्तावेज एवं बिलिंग गणना पत्रक प्रस्तुत किया गया। जिसमें सहायक अभियंता द्वारा निम्नानुसार अवगत कराया गया।

बी.पी. कमांक 1001377418 के तहत 04 अ.श. पेयजल मे लगे पुराना मीटर का मेक L&T SL NO- T0111587, CAP 10-60A थी फेस मीटर लगा हुआ था । कंपनी के नियमानुसार पुराना मीटर को बदलकर नया स्मार्ट मीटर जिसका मेक GENUS SL NO- G4113045, CAP-10-60A श्री फेस मीटर दिनॉक 23.08.2025 को लगाया गया है पुराने मीटर का FR रीडिंग 45817 पाया गया। जबकि बिलिंग 45241 तक किया गया है । शेष युनिट 576 का अतिरिक्त बिलिंग किया गया है। कनेक्शन मे कैपेसिटर नही लगने के कारण 85 प्रतिशत से च्व कम दर्ज किया गया है । मीटर मे अनुबंधित भार से डव अधिक दर्ज होने के कारण सैप प्रणाली से 10 अ.श का भार लिया गया है ।

3. फोरम द्वारा परीक्षण एवं निष्कर्ष

प्रस्तुत अभिलेखों के परीक्षण से यह तथ्य सामने आया कि पुराने मीटर की अंतिम रीडिंग 45817 थी, जबकि बिलिंग 45241 तक की गई थी। परिणामस्वरूप 576 यूनिट का अंतर शेष था, जिसकी अतिरिक्त बिलिंग की जानी थी। साथ ही यह भी बताया गया कि परिसर में संधारित्र (Capacitor) स्थापित नहीं होने के कारण पावर फैक्टर 0.85 से कम दर्ज हुआ, जिसके परिणामस्वरूप टैरिफ प्रावधानों के अनुसार पावर फैक्टर सरचार्ज लगाया गया। इसके अतिरिक्त अधिकतम मांग (Maximum Demand) अनुबंधित भार से अधिक दर्ज होने पर एस.ए.पी. प्रणाली द्वारा 10 अश्वशक्ति के आधार पर भार निर्धारित किया गया।

प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों एवं दस्तावेजों के परीक्षण से फोरम निम्न निष्कर्ष पर पहुँचा–

1. अभिलेखों से स्पष्ट है कि उपभोक्ता का स्वीकृत भार 4 अश्वशक्ति है, जबकि माह दिसम्बर 2022 से फरवरी 2023 तक अधिकतम मांग लगभग 6 किलोवाट तथा माह मार्च 2023 से मई 2023 तक लगभग 7 किलोवाट लगातार दर्ज की गई। ऐसी स्थिति में प्रचलित टैरिफ आदेश के अनुसार वितरण कंपनी को निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए अनुबंधित भार के पुनर्निर्धारण (Load Regularisation) की कार्यवाही करनी चाहिए थी।

2. प्रस्तुत मीटर रीडिंग अभिलेखों के परीक्षण से यह स्पष्ट हुआ कि पुराने मीटर द्वारा दर्ज ऊर्जा खपत एवं स्मार्ट मीटर स्थापित होने के पश्चात दर्ज ऊर्जा खपत में किसी प्रकार की विसंगति नहीं पाई गई। अतः मीटर द्वारा ऊर्जा मापन में किसी त्रुटि का प्रमाण उपलब्ध नहीं है।

3. अभिलेखों से यह भी स्पष्ट है कि उपभोक्ता के कनेक्शन में पावर फैक्टर निर्धारित मानक से कम दर्ज हुआ, जिसके कारण प्रचलित टैरिफ के अनुसार पावर फैक्टर सरचार्ज लगाया जाना नियमसंगत है। यदि उपभोक्ता भविष्य में पावर फैक्टर सरचार्ज से बचना चाहता है तो उसे उपयुक्त क्षमता का कैपेसिटर स्थापित कर पावर फैक्टर को निर्धारित स्तर पर बनाए रखना होगा।

उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम दुर्ग

4. पुराने मीटर की अंतिम रीडिंग एवं अंतिम बिलिंग रीडिंग के मध्य 576 यूनिट का अंतर पाया गया है। यदि उक्त अंतर की बिलिंग पूर्व में नहीं की गई है, तो उसका निर्धारण नियमानुसार किया जाना उचित होगा।

अतः फोरम निम्न आदेश पारित करता है–

1. फोरम यह घोषित करता है कि प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर मीटर द्वारा ऊर्जा मापन में किसी प्रकार की त्रुटि अथवा बिलिंग में मीटर रीडिंग संबंधी अनियमितता सिद्ध नहीं होती है।

2. अनावेदक यह सुनिश्चित करें कि पुराने मीटर की अंतिम रीडिंग एवं अंतिम बिलिंग रीडिंग के मध्य पाए गए 576 यूनिट के अंतर का परीक्षण कर नियमानुसार आवश्यक बिलिंग की कार्यवाही करें तथा उसका विस्तृत गणना पत्रक आवेदक को उपलब्ध कराएं।

3. अनावेदक द्वारा माह दिसम्बर 2022 से मई 2023 के दौरान अधिकतम मांग अनुबंधित भार से अधिक रहने के कारण प्रचलित टैरिफ आदेश के अनुसार अनुबंधित भार के पुनर्निर्धारण की कार्यवाही की जानी अपेक्षित थी। अतः उक्त संबंध में आवश्यक कार्रवाई करते हुए संशोधित बिल जारी करें

4. पावर फैक्टर सरचार्ज प्रचलित टैरिफ आदेश के अनुरूप लगाए जाने से उसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं पाया जाता। आवेदक भविष्य में पावर फैक्टर को निर्धारित स्तर पर बनाए रखने हेतु आवश्यक क्षमता का कैपेसिटर स्थापित करना सुनिश्चित करें।

5. उपरोक्त मदों में की गई अतिरिक्त राशि की वसूली को आगामी विद्युत देयकों में समायोजित किया जाए।

6. समस्त कार्यवाही एवं संशोधित बिल जारी करने की प्रक्रिया आदेश की प्रति प्राप्ति से 30 दिवस के भीतर पूर्ण की जाए तथा अनुपालन प्रतिवेदन फोरम के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

7. उपरोक्त आदेश फोरम द्वारा विधिवत पारित किया जाता है।

8. प्रकरण फोरम के समक्ष प्रस्तुत तथ्यों एवं प्रतिवेदनों के आधार पर निराकृत।

9. यदि शिकायतकर्ता/आवेदक फोरम द्वारा पारित उक्त आदेश से असंतुष्ट हो तो माननीय विद्युत लोकपाल रायपुर के समक्ष इस आदेश की प्राप्ति की तिथि से 45 दिनों के भीतर अपील दायर कर सकता है।

(ममता कश्यप)
सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम दुर्ग

(पी.व्ही. सजीव)
अध्यक्ष
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम दुर्ग